अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 492(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.01.2009 की अधिसूचना सं0 **का0**आ0 121 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "द एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, 6ठा क्रॉस हचिन्स रोड, ऑफ हेन्नूर, लिंगराजापुरम, सेंट थॉमस टाऊन पोस्ट, बेंगलुरू-560084" द्वारा "(1) प्रशिक्षण और रोजगार (शहरी और ग्रामीण), (2) ग्रामीण शिक्षा, (3) बागवानी प्रशिक्षण इकाई और (4) पुनर्वास और मोबिलिटी सहायता" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 27 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 9.10.2012 की अधिसूचना सं० 2405(अ) द्वारा 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "द एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, 6ठा क्रॉस हचिन्स रोड, ऑफ हेन्नूर, लिंगराजापुरम, सेंट थॉमस टाऊन पोस्ट, बेंगलुरू-560084" द्वारा चलाई जा रही "1) प्रशिक्षण और रोजगार (शहरी और ग्रामीण), 2) ग्रामीण शिक्षा, 3) बागवानी प्रशिक्षण इकाई और 4) पुनर्वास और मेबिलिटी सहायता" की परियोजना अथवा स्कीम को 5.19 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 122/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ(रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)